फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

भौरीलाल बनाम सरकार

। :– 67 / 2020

ंक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
)2.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम भावपुरा पटवार हल्का मानोता, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि साविक खसरा नम्बर 236 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि हाल नवीन खसरा नम्बर 292 रकबा 0.80है0 अनुसार प्रार्थी के खातेदारी अनुसार स्थित है, जो कि साबिक खसरा नम्बर 236 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा अनुसार स्थित है। जिसके राजस्व नक्शें मे हाल सैटलमेंट कार्यवाही में कब्जे काश्त व हक अधिकार के विरूद्व तथा साबिक राजस्व नक्शें के विपरित त्रुटिपूर्ण नवीन नक्शा तरमीम होने से आगे वादग्रस्त भूमि है। प्रार्थी खातेदार के साबिक खसरा नम्बर 236 के राजस्व नक्शे अनुसार मौके कब्जे की खातेदारी भूमि में से उत्तर पूर्वी कार्नर की भूमि को हाल आबादी के नवीन खसरा नम्बर 510 के राजस्व नक्शें में शामिल करते हुए त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दिया गया। दौराने सैटलमेंट कार्यवाही में सेटलमेंट अधिकारीयों द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 236 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा के दक्षिण दिशा की भूमि को नवीन खसरा नम्बर 299 के राजस्व नक्शें में शामिल करते हुए त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दिया गया, जिससे प्रार्थी की दक्षिणी दिशा की खातेदारी व साबिक नक्शे की भूमि वर्तमान में खसरा नम्बर 299 के राजस्व नक्शें में शामिल होकर त्रुटिपूर्ण तरमीम है। अतः उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 236 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा के तरमीमशुदा राजस्व नक्शें के मुताबिक ही हाल खसरा नम्बर 292 रकबा 0.80है0 के राजस्व नक्शें की दक्षिण एवं उत्तर पूर्वी सीमाओं को पुनः तरमीम करने के आदेश दिया जावें एवं तदानुसार वर्तमान खसरा नम्बर 292, 510, 299 के नक्शें में सीमाओं की तरमीम दुरूस्त कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि के रकबा बरारी व पूर्व राजस्व नक्शे अनुसार तरमीम दुरूस्तीकरण के आदेश दिया जावें। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी ग्राम भावपुरा खसरा नम्बर 292 रकबा 0.80है0 जाति मीणा राहिन (पूर्ण खाता) इलाहाबाद बैंक शाखा बस्सी दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल पूर्व साबिक खसरा नम्बर 236 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा जो हाल खसरा नम्बर 292 रिकार्ड दर्ज हुए है। वर्तमान राजस्व नक्शा अनुरूप खसरा नम्बर 292, खसरा नम्बर 510 के	

लगवा स्थित है। खसरा नम्बर 510 किस्म गै0मु0आबादी है व खसरा नम्बर 292 के दक्षिणी भाग में खसरा नम्बर 299 तरमीम शुदा है। इनके साबिक खसरा नम्बरान का उपलब्ध नक्शा जीर्ण–शीर्ण होने व उक्त खसरा नम्बरान का अंकन स्पष्ट नही होने से मिलान संभव नही है। अतः नक्शा दुरूस्ती प्रस्तावित नही की जा सकती है।

अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व बहस का मनन करने पर पाया कि मुताबिक पैरोकार सरकार अनुसार ग्राम भावपुरा का नक्शा जीर्ण–शीर्ण है। जिसमें खसरा नम्बरान स्पष्ट अंकन नही है। ऐसी स्थिति में दुरूस्ती किया जाना संभव नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।